राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.2118.सीसी/स्वा.का.पु./2023/106 दिनांक :- 17/03/2023

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पंजीबद्व अवमानना याचिका संख्या 936/2021 अन्तर्गत एस.बी.सि.रि.याचिका संख्या 5879/2021 श्री रतनलाल स्वामी एम पी डब्यू बनाम सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 08.04.2021 को पारित आदेश का मुख्यांश निम्न प्रकार है:-

"In light of the aforequoted judgment, the writ petition is disposed of with the direction to the respondents to decide the representation of the petitioners in terms of aforementioned judgment within a period of 30 days from today strictly in accordance with law. "

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2021 के परिप्रेक्ष्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराई है।

संबंधित नियंत्रक अधिकारी से प्राप्त वांछित सूचना का गहनता से परीक्षण कर पाया गया की याचिकाकर्ताओं की प्रथम नियुक्ति वैक्सीनेटर के पद पर तत्पश्चात स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के पद पर समायोजित किया गया। **चुकी याचिकाकर्ता द्वारा 12 माह से कम का स्वा0कार्य0पु का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है** एवं **पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पंजीबद्व अवमानना याचिका संख्या 926/2014 अंतर्गत एस.बी.सि.रिट संख्या 8049/2012 आत्माराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2013 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक 443 दिनांक 28.03.2017 के द्वारा गोविन्द दान चारण के प्रकाश में याचिकाकर्ता को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा का संशोधित चयनित वेतनमान/एरियर का भुगतान कर दिया गया है।**

अतः श्री रतनलाल स्वामी, एम पी डब्यू, द्वारा माननीय न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सि.रि. याचिका संख्या 5879/2021 में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2021 को दाडमदास वैष्णव व अन्य से कवर्ड होना बताया गया है। जबकि याचिकाकर्ता का प्रकरण आमेलित/समायोजित स्वा0कार्य0पु गोविन्द दान चारण व अन्य से कवर्ड होता हैं। अतः याचिकाकर्ता द्वारा 12 माह से कम का स्वा0कार्य0पु का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है जोकि माननीय न्यायालय के समक्ष अपने सही तथ्य छुपाये गये हैं। **चुंकि समान प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर अवमानना याचिका संख्या 466/2021 अंतर्गत एस.बी.सि.रिट संख्या 13204/2020 मोहन लाल व अन्य 02 बनाम सरकार में दाडमदास वैष्णव से कवर्ड मानते हुये पारित निर्णय दिनांक 17.12.2020 में प्रस्तुत अवमानना याचिका को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2023 को खारिज करते हुए कार्यवाही बंद करने के निर्देश दिये गये हैं।**

अतः मेरे द्वारा, याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता के साथ जॉच कर एवं संबंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त वांछित सूचना का परिक्षण/विचार कर, याचिकाकर्ता द्वारा चाहा गया अनुतोष नियमानुसार देय नहीं होता है। अतः अभ्यावेदन एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःएफ.2118.सीसी/स्वा.का.पु./2023/106 दिनांक :- 17/03/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं केस प्रभारी अधिकारी, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अवमानना याचिका संख्या 936/2021 में विभाग की तरफ से प्रकरण का जबाव प्रस्तुत कर निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।
4. संबंधित याचिकाकर्ताओं को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय। website
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

Signature valid
Digitally signed by S[illegible]sh Kumar Naval
Designation: [illegible]r
Date: 2023.03.[illegible]7:46:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3273651